

कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ।

पत्रांक 4759/14-1, आगरा, दिनांक, 23 मई, 2017

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मैनपुरी।

विषय :- जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत शिकोहाबाद-भौगौव राज्य मार्ग सं०-84 के चैनेज 21.000 से 43.800 एवं धिरोर बाईपास (ल०-6.56 कि०मी०) कुल 25.66 कि०मी० तक मार्ग का चार लेन चौड़ीकरण सुदृढीकरण निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 24.92755 हे० संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं 4645 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका पत्र सं०-2558/14-1 दिनांक 14.05.2017
महोदय,

सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित उक्त विषयक प्रस्ताव के अवलोकन पर निम्न त्रुटियों पाई गई है, जिनका निस्तारण कर प्रस्ताव पुनः इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें :-

- 1- संलग्नक 13, 14, 15 भाग-3 व 4 व 5 पर प्रस्ताव का विवरण अंकित नहीं किया गया है।
- 2- संलग्नक 18 में नक्शे पर अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मैनपुरी की मुहर पर हस्ताक्षर नहीं है।
- 3- संलग्नक 19 पर नक्शे पर अधिशासी अभियन्ता की मुहर पर हस्ताक्षर नहीं है।
- 4- संलग्नक-20 पर भी अधिशासी अभियन्ता की मुहर पर हस्ताक्षर नहीं है।
- 5- संलग्नक-21 पर भी अधिशासी अभियन्ता की मुहर पर हस्ताक्षर नहीं है।
- 6- संलग्नक-127 एवं 128 पर अधिशासी अभियन्ता की मुहर पर हस्ताक्षर नहीं है।
- 7- संलग्नक-129 पर अधिशासी अभियन्ता की मुहर पर हस्ताक्षर नहीं है।
- 8- संलग्नक-135 पर अधिशासी अभियन्ता की मुहर पर हस्ताक्षर नहीं है।
- 9- फोटोस्टेट कॉपी पर मुहर लगाकर हस्ताक्षर किये जाँय/कोई भी प्रति छायाप्रति संलग्न न की जाँय।
- 10- जिलाधिकारी के प्रमाण पत्र पर जिलाधिकारी की मुहर नहीं लगी है।
- 11- मानक शर्तों में पृष्ठ सं०-116 पर शर्त सं०-14 में रोपण तथा 03 वर्षों तक परिपोषण (अनुरक्षण) दर्शाया गया है, जबकि संलग्नक प्राक्कलन में 10 वर्षों तक अनुरक्षण किया गया है। विरोधाभास सही करें कि किन कारणों से ऐसा किया जा रहा है।
- 12- संलग्नक-121 पर अधीक्षण अभियन्ता के मूल हस्ताक्षर नहीं है।

अतः प्रस्ताव मूल में उक्त त्रुटियों के संशोधन हेतु वापस किया जाता है।

संलग्नक :- प्रस्ताव 04 प्रतियों में।

भवदीय,

(पी०पी० सिंह)

वन संरक्षक,

आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक 4759/ दिनांकित ।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मैनपुरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पी०पी० सिंह)

वन संरक्षक,

आगरा वृत्त, आगरा।